नज़रअंदाज़ करना, यह न तो हाउस के हित में है, न सारे देश के और न ही राष्ट्रपति जी के इतने ऊंचे पद के हित में है। इसलिए इसके ऊपर डिसकशन करना, उसके साथ एग्री करना या न करना अलहदा बात है लेकिन उसको बिलकुल ही इग्रोर कर देना, यह न तो यहां हुआ है, न होना चाहिए, न देश के हित में है। मैं यही कहता हूं कि यह बिलकुल ठीक है, इसको डिसकश करने का कोई माध्यम होना चाहिए।

SHRI JOHN F. **FERNANDES** (GOA): Sir, whatever may be the situation, the fact is that because of the direction of the President. that Governement had to seek a vote of confidence. Then how has this prorogation been done under the signature of the President? I don't think that it was a peculiar situation where the President read out the policy of the Government of the day and since that Government did not survive, naturally, that Address would also have to lapse.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay. Now, if the House agrees, we will sit for some more time. Some Special Mentions are there. Shri Satish Pradhan.

Shifting of Regional Design and Technological Centre, from Mumbai in Bhopal

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखना चाहता हुं। केन्द्र सरकार की टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर . डेवलपमेंट ऑफ हैंडिक्राफुट्स विषय संभाला जाता है। उसका रीजनल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर मुंबई स्थित था। यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ हैडिक्राफ्ट्स में बहत अच्छे ढंग से लोगों को सिखाया जाता था, बहुत अच्छे तरीके से लोग वहां काम करते थे लेकिन दर्भाग्य यह हो गया कि वहां डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ कमिश्नर का। मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इस सेंटर को वहां खाली करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने उसके बदले में दूसरी जगह देने की ऑफर दी। केन्द्र सरकार ने ऑफर मान लिया। महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 स्क्वायर फुट मुंबई जैसी जगह में सिर्फ एक रुपए के रेट से जगह उपलब्ध करा दी जो करीब 10,000 स्क्वायर फुट जगह हाथ में ले ली । केन्द्र

सरकार^ने इस जगह का पझेशन ले लिया लेकिन इसका पझेशन लेने के बाद मुंबई स्थित जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हैंडिक्राफ्ट्स का सेंटर था, वह भोपाल में शिफट किया गया। जगह बदलने के बाद सिर्फ पांच लोगों को काम दिया गया. बाकी सब लोग अभी तक वैसे ही बाहर रखे गए हैं। 18 महीनों से इन सब वर्करों को उनकी सैलेरी नहीं दी है डिपार्टमेंट ने। यह बहत गंभीर मसला है और इसी विषय पर सदन को वस्त्र मंत्रालय से निवेदन करने की आवश्यकता है। हमारे जो पराने वस्त्र मंत्री थे वेंकटस्वामी जी. उनके साथ भी इस विषय पर मैंने कई बार बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ऑर्डर निकाले हैं, मैं यह सब करने को कहता हं। सब लोग वहां काम करेंगे. यह सेंटर वहां रहेगा. ऐसा कहा था लेकिन उसका ऐकज़ीक्यशन अभी तक हुआ नहीं। इसलिए में आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द किसी भी हालत में वहां सैंटर्स शरू किए जाएं और जिन लोगों को सैलरी नहीं दी गयी थी, उन्हें पगार दी जाए, यही मेरी आप से मांग है।

SHIRODKAR SHRI ADHIK (MAHARASHTRA): Hon. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the sentiments and anguish expressed by the hon. Member. The only reason why the Centre had to be shifted was an adverse order of the Court ordering that the property should be vacated. But when an alternative property has been given to the extent of 10,000 square feet at the nominal rent of rupee one per year, the these circumstances shifting under appears to be mala fide and it is necessary that such a feeling, that it is mala fide, has to be dispelled. And the only way it can be dispelled is by restoring the Centre back to Mumbai and seeing to it that the people who have been deprived of their wages are no more so deprived and are continued in the job. I hope that the Government will look into it.

Resentment among people registered for Allotment of DDA Flats/Houses under New Pattern Scheme, 1979

श्री ओ॰ पी॰ कोहली (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली